	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 9, सोमवार, शाके 1944-अक्टूबर 31, 2022 *Kartika 9, Monday , Saka 1944- October 31, 2022*	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 20, 2022

संख्या प.4(14)कृषि/ग्रुप-2/2019 :-जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 3 के तहत समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.02.2020 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति, (अनाज) बीकानेर के क्षेत्र में से पंचायत समिति श्रीकोलायत (कृषि उपज मण्डी समिति, बज्जू के मण्डी क्षेत्र में अवस्थित 24 ग्रामों बीकमपुर, बरसलपुर, भूरासर, राववाला, बांगडसर, 6-8 एम, संतोष नगर, बज्जू खालसा, माणकासर, मिठाडिया, भलूरी, रणजीतपुरा, गज्जेवाला, चारणवाला, फुलासर बडा, नगरासर, सेवडा, गोकुल, जगासर, गोडू, गोगडियावाला, गडियाला, गिरिराजसर, देवडों की ढाणी एवं बीठनोक को छोडकर) के क्षेत्र के अतिरिक्त बीकानेर-जोधपुर एवं बीकानेर-सूरतगढ रेलवे लाईन की पश्चिमी दिशा की ओर अवस्थित नगर निगम के समस्त क्षेत्र को पृथक कर एक नवीन कृषि उपज मंडी समिति (अनाज) पूगलरोड, बीकानेर के नाम से की स्थापना के आशय की घोषणा करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 4, 6 तथा 8 के तहत समंसख्यक अधिसूचना दिनांक 27.05.2022 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, (अनाज) बीकानेर के क्षेत्र में से पंचायत समिति, कोलायत की 6 ग्राम पंचायतों- गडियाला, गिरीराजसर, देवडो की ढाणी, बीठनोक, शिम्भू का बुर्ज व पेथडों की ढाणी के क्षेत्र को छोडकर कोलायत पंचायत समिति के समस्त क्षेत्र, बीकानेर पंचायत समिति में राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 62 (नागौर रोड) तथा राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 11 (जैसलमेर रोड) के मध्य अवस्थित 8 ग्राम पंचायतों- मेघासर, कोलासर, बच्छासर, उदयरामसर, स्वरूपदेसर, पलाना, लालमदेसर एवं बरसिंहसर के समस्त क्षेत्र, नगर निगम बीकानेर के क्षेत्र में बीकानेर-सूरतगढ एवं बीकानेर-जोधपुर रेलवे लाईन की पश्चिमी दिशा की ओर अवस्थित समस्त क्षेत्र तथा नगर पालिका देशनोक के समस्त क्षेत्र को पृथक करते हुए स्वतंत्र कृषि उपज मण्डी समिति, पूगल रोड ('ब' श्रेणी) की घोषणा की गई थी।

अब राज्य सरकार उपरोक्त अधिनियम की धारा 7(1) (ख) के अन्तर्गत पृथक मंडी समिति का गठन करती है और धारा 7 की उपधारा (1) (ख) एवं धारा 7(2)(ब) के अन्तर्गत उक्त मंडी समिति में निम्नांकित सदस्यों का मनोनयन करती हैः-

<u>कृषक वर्गः</u>-

1. श्रीमती भगवान कवंर पत्नी श्री उम्मेद सिंह सांखला, ग्राम सियाणा भाटियान, तह. श्री कोलायत
2. श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी श्री मघाराम नाई, ग्राम नाईयों की बस्ती, तह. कोलायत
3. श्रीराम कस्वां पुत्र श्री मोतीराम कस्वां, वार्ड नं0 10 पांचाणी बास, ग्राम बरसिंहसर तह. बीकानेर
4. श्री शिवलाल मेघवाल पुत्र श्री उमाराम, ग्राम मण्डाल चारणान तह. कोलायत
5. श्री नेनू राम पुत्र श्री भोजाराम नायक, ग्राम मढ तह. श्री कोलायत

6. श्री हजारी राम कुम्हार पुत्र श्री मघाराम कुम्हार, ग्राम गंगापुरा, तह. श्रीकोलायत

व्यापारी वर्गः-

1.श्री लालचन्द पुत्र श्री रतनलाल, बीकानेर

सहकारी विपणन समिति सदस्यः-

1. श्री ईश्वरदयाल सिहाग पुत्र श्री रामनारायण, ग्राम पलाना, तह. बीकानेर

नगर पालिका सदस्य

1. श्री प्रफुल्ल हटीला पुत्र श्री लालचन्द हटीला, वार्ड नं0 71, बीकानेर

विधानसभा का सदस्यः-

1. श्री भंवर सिंह भाटी पुत्र श्री रूघनाथ सिंह भाटी, स्थानीय विधायक ग्राम हदां, तह. श्रीकोलायत,

राज्य सरकार द्वारा नामितः-

1. श्री जहरूद्दीन पुत्र श्री बरकत अली, पूगल रोड

उपरोक्त अधिनियम के अभिप्राय के लिए अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत उपरोक्त मंडी क्षेत्र के लिए एक मंडी स्थापित करने की वांछना कृषि उपज मंडी समिति, (अनाज) पूंगलरोड बीकानेर से की जाती है ।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) उस तारीख से प्रभावी होगी जिससे कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मंडी यार्ड की घोषणा की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

नसीम खान,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।